

28/1
2021

पत्रावली पैरा हुई। वकील सार्जी ग्राम सार्जिना पत्र
मिसल हलकी का प्रकृत किया जाने से पत्रावली
सीगट से हलक होकर प्रकृत हुई। वकील ग्राम
पक्ष को सुना गया सार्जिना पत्र के चरण संख्या
3 में वही मोजा हलावदा पत्रावली लिखी के
खाला सं. 288 में वही गदप्रस आराजी नम्बर
213 रकबा 3 की घा 07 लिखा भूमि की मूल
वाद के निरस्तारण एक अपेक्षा तरीके से हलावत
(बेचान) नहीं करने तथा राजस्व रेकार्ड की प्रशासिक
बनाये रखने हेतु सलमत है। अतः मोजा हलावदा
के खाला संख्या 288 में वही आराजी नम्बर 213
में विपरीत को अस्थायी विवेधाना से पावद
किया जाता है कि सार्जिना के कब्जेवाली में
दखल अदागी नहीं करें न किसी से करके अपेक्षा
तरीके से बेचान हलावत नहीं करें न किसी से
करके। मूल वाद के निरस्तारण एक प्रशासिक बनाये
रखें। राजस्व रेकार्ड की निष्पत्ति में कोई परिवर्तन
नहीं करें। पत्रावली फेरसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

अखण्ड अधिकारी

दुंगला

